न्यायालय : नागेश प्रताप सिंह, अपर सत्र न्यायाधीश–XI, दरभंगा

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–531 / 2026

1. सुरेश चौपाल,, पे0–स्व0 निर्धन चौपाल, उम्र 61 वर्ष।
2. गणेश चौपाल, पे0–स्व0 निर्धन चौपाल, उम्र 55 वर्ष।
3. सुभाष चौपाल, पे0–सुरेश चौपाल, उम्र 28 वर्ष।
4. विकास चौपाल, पे0–सुरेश चौपाल, उम्र 24 वर्ष.....आवेदकगण।

बनाम

1. बिहार सरकार .....विपक्षी

==========

आवेदक की ओर से : श्री शोभित कुमार, विद्वान अधिवक्ता

विपक्षी (राज्य) की ओर से : श्री अमरेन्द्र नारायण झा, विद्वान लोक अभियोजक

==========

आदेश

12-05-2026

1. यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक अभियुक्तगण **1. सुरेश चौपाल, 2. गणेश चौपाल, 3. सुभाष चौपाल, 4. विकास चौपाल** की ओर **धारा–438 (2) दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत केवटी थाना कांड संख्या–194 / 2022, विचारण वाद संख्या 1449 / 2025 अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा–147, 149, 341, 323, 325, 354, 308, 504 जो श्री सलभ शर्मा, विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी–प्रथम श्रेणी, दरभंगा** के न्यायालय में लंबित है, में अपनी गिरफ्फतारी की आशंका से बचने के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया है, जो सुनवाई के लिए इस न्यायालय के संचिका में हस्तानान्तरित होकर प्राप्त हुआ। आवेदक अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता **श्री शोभित कुमार,** तथा विद्वान लोक अभियोजक **श्री अमरेन्द्र नारायण झा** को सुना।

2. अभियोजन वाद संक्षिप्त में यह है कि दिनांक 08.06.2022 को सूचिका शीला देवी का ग्रामीण सुरेश चौपाल सूचिका के ग्रामीण वीणा देवी के गाछी में आम तोड़ रहा था जिसे वीणा देवी देखकर मना की हमारा बगीचा का आम क्यो तोड़ रहे हैं, जिसपर सुरेश चौपाल, वीणा देवी के साथ गाली गलौज करने लगा और गाली देते हुये घर तक आ गया और यहां भी वीणा देवी के साथ सूचिका के साथ भी गाली गलौज करने लगा। उसी समय गणेश चौपाल, सुभाष चौपाल, विकास चौपाल, संजीत चौपाल, रंजीत चौपाल लाठी, डंडा, रड, फरसा आदि लेकर आया तथा आते ही सभी सूचिका के साथ गाली गलौज करने लगा जिससे सूचिका गाली देने से मना ही कर रही थी कि उसी समय करीब 06:00 बजे संध्या में गणेश चौपाल हाथ में लिये लोहे के रॉड से जान मारने की नियत से वार कर दिये जिससे सूचिका का सिर फुट गया और सूचिका जख्मी होकर गिर गई तो सभी सूचिका को उपर से मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। उसी समय सुरेश चौपाल रॉड से सूचिका के बाया हाथ पर मारा जिससे सूचिका का हाथ टूट गया। सूचिका को बचाने सूचिका के पति आये तो गणेश चौपाल अपने हाथ में लिए रॉड से उनके सिर पर भी वार कर दिया जिसे उनका भी सिर फट गया तथा गिर गये तो सभी उपर से रॉड, लाठी से मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। मारपीट के क्रम में उक्त लोग में से विकास कुमार सूचिका के गर्दन से मंगलसूत्र खींच लिया। उसके सूचिका का परिजन हमलोगों को उठाकर ईलाज हेतु पी0एच0सी0 केवटी ले गये जहां से डी0एम0सी0एच0 रेफर कर दिया, जहां पर जख्मियों का ईलाज चला।

न्यायालय : नागेश प्रताप सिंह, अपर सत्र न्यायाधीश–XI, दरभंगा

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–531 / 2026

उक्त लोग घर से एक बक्शा भी उठाकर ले गये जिसमें कुछ जेवर भी था।

3. आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्तगण का कोई भी अगिम्र जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में, न ही माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल किया गया है और न ही कोई जमानत का आवेदन पत्र कहीं लंबित है। आगे उनका कहना है कि आवेदक अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उनकी ओर से निवेदन किया किया गया हे कि आवेदकगण को पूर्व में संबंधित न्यायालय के द्वारा नियमित जमानत दिनांक 27.07.2022 को प्रदान की गयी है परंतु अनुसंधान के दौरान अनुसंधान पूरी होने के बाद अनुसंधानकर्त्ता ने आरोप पत्र भा0द0वि0 की धारा 147, 149, 341, 323, 325, 354, 308, 504 में समर्पित किया और माननीय विचारण न्यायालय ने कुछ ऐसी सामग्री पर संज्ञान लिया जिसमें भा0द0वि0 की धारा 308 सत्र न्यायालय के द्वारा विचारणीय है और आवेदकगण को यह आशंका हैं कि यदि वे विचारण न्यायालय के सामने उपस्थित होते हैं तो करते हैं तो उन पर गंभीर अपराध का संज्ञान लिये जाने के आधार पर उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है, इसलिए यह अगिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आगे उनका कहना है कि यह मामला आवेदक सुरेश चौपाल द्वारा सूचक और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ केवटी थाना कांड संख्या 195 / 2022 के तहत दायर किए गए मामले के बचाव के तौर पर काउंटर ब्लास्ट के रूप में दायर किया गया है। आगे उनका कहना है कि आवेदक अभियुक्तगण भा0द0वि0 की धारा 438(2) दंड प्रक्रिया संहिता के निर्धारित शर्तों को पालन करने के लिए तैयार हैं। अंत में वे आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर छोड़ने की प्रार्थना करते हैं।

4. दूसरी तरफ विद्वान लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुये न्यायालय से उचित आदेश पारित करने का निवेदन करते है।

पक्षकारों को सुना। अभिलेख एवं केस दैनिकी का अवलोकन किया। प्राथमिकी भा0द0वि0 की धारा 147, 341, 323, 324, 325, 354, 379, 504 में आवेदकगण के विरूद्ध दर्ज किया गया है। इस वाद में अनुसंधान के उपरांत आरोप पत्र भा0द0वि0 की धारा 147, 149, 341, 323, 325, 354, 308, 504 में आवेदकगण के विरूद्ध समर्पित किया गया है। इस वाद में भा0द0वि0 की धारा 147, 149, 341, 323, 325, 354, 308, 504 में अपराध का संज्ञान लिया गया है। अभिलेख अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि आवेदक अभियुक्तगण को दिनांक 27.07.2022 को नियमित जमानत की सुविधा प्रदान की गयी है। आवेदकगण के द्वारा पूर्व से निम्न न्यायालय के द्वारा प्रदान किये गये नियमित जमानत की सुविधा का दुरूपयोग नहीं किया गया है।

05. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में यह न्यायालय पाती है कि आवेदकगण का अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नहीं है, क्योंकि ये पूर्व से नियमित जमानत पर हैं तथा इन्होंने जमानत का दुरूपयोग नहीं किया है। अतः अग्रिम जमानत आवेदन को निस्तारित किया जाता है। यदि आवेदक–अभियुक्तगण इस आदेश के पन्द्रह दिनों के अंदर संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत याचिका दाखिल करते हैं तो निम्न न्यायालय इस आदेश से प्रभावित हुए वगैर आवेदक अभियुक्तगण के जमानत आवेदन पर न्यायसंगत उपरोक्त तथ्यों एवं इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि आवेदकगण पूर्व से निम्न न्यायालय के द्वारा प्रदान किये गये नियमित जमानत की सुविधा का दुरूपयोग नहीं किया है, जमानत आवेदन पर उचित आदेश पारित करेंगें।

लेखापित एवं त्रुटिशोधित

(रंजन कुमार मिश्र)
अपर सत्र न्यायाधीश–XI,
दरभंगा।